

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग,
(मुख्यालय), अनुश्रवण

सचिका संख्या- ल0सि0मो0 RIDF-318/2019 - 1410 (मौ०) /पटना, दिनांक-04/7/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

विनोद कुमार तिवारी,
उप बजट-नियंत्रक
- सह -
उप-सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार सरकार।

विषय:- RIDF के अन्तर्गत नाबार्ड ऋण योजना के तहत लघु जल संसाधन विभाग का जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 376 एवं 290 सिंचाई योजनाओं के ऋण स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक-537 दिनांक 03.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में RIDF XXVI के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित 376 सतही सिंचाई योजनाओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहना है कि-

1. 829 योजनाएँ जिनकी स्वीकृति नाबार्ड द्वारा दी गयी है, वे Project Screening Committee द्वारा स्वीकृत 1209 सतही सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत हैं।
2. जिन 04 योजनाएँ को Drop करने का प्रस्ताव है, वह 829 में नहीं है यह उससे अलग (1209-829)=380 योजनाओं में शामिल है।
3. जिन 376 योजनाओं को NABARD को भेजे जाने का प्रस्ताव है वे (1209-829) के अन्तर्गत ही हैं।

अतः अनुरोध है कि 376 सतही सिंचाई योजनाओं को वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त नाबार्ड भेज दी जाय।

36

विश्वासभाजन,

27/04/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।